



# Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in



## Right To Information Act 2005

क्रमांक: अमअ/RTI/2019/330

दिनांक: 18.09.19  
अति-आवश्यक

### कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक राअमअ/RTI/2019/197 दिनांक 16.07.2019 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत महाविद्यालय में श्री हिमरेश चौधरी की द्वितीय अपील पर राजस्थान सूचना आयोग में सुनवाई की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों से सत्र 2018 की समय-सारणी की 02 सत्यापित छायाप्रति 05 दिवस में आवश्यक रूप से RTI Cell को उपलब्ध करवाने हेतु जारी किया गया था। जिसकी पालनार्थ सूचना आज दिनांक तक निम्न विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है :-

1. कम्प्यूटर साइन्स (कम्प्यूटर, आई.टी. एवं एम.सी.ए.)
2. यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग
3. विद्युत अभियांत्रिकी विभाग
4. मानविकी एवं विज्ञान विभाग

अतः उपरोक्त विभागाध्यक्षों को पुनः अनुरोध कर सूचित किया जाता है कि वह उक्त सूचना 03 दिवस में आवश्यक रूप से RTI Cell को उपलब्ध करा दें।

लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:- 21/09/2019/3912-3916

1. प्राचार्य को सूचनार्थ
2. संबंधित विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु
3. रक्षक पत्रावली

लोक सूचना अधिकारी